

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

आदेश

संचिका संख्या-11/आ04-1018/2026- 1893

पटना, दिनांक- 30/9/26

अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, मुंगेर के पत्रांक-299, दिनांक-28.05.2026 द्वारा श्री मनोरंजन कुमार, तत0 कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, शेखपुरा, प्रशाखा-अरियरी सम्प्रति निलंबित कनीय अभियंता, मुख्यालय अधीक्षण अभियंता का कार्यालय लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, पूर्णियाँ के विरुद्ध योजनाओं के नियमित परिचालन एवं रख-रखाव के कार्यों में शिथिलता बरतने के दृष्टिगत अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी। अधीक्षण अभियंता, मुंगेर द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदनानुसार श्री कुमार द्वारा शिकायत के संज्ञान में आने के उपरांत भी योजना से संबंधित लाभुकों को स्वच्छ जलापूर्ति आपूर्ति किये जाने के लक्ष्यों के प्रति संवेदनशील नहीं पाये गये।

02. दिनांक-29.05.2026 को CGRC Portal से प्राप्त लंबित शिकायतों की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, शेखपुरा के प्रशाखा-अरियरी अन्तर्गत 23 अदद शिकायतें लंबित पायी गयी। पूर्व से निष्पादित शिकायतों में से 03 अदद शिकायतों को Reopen किया गया। इसके अतिरिक्त 92 अदद शिकायतों का निष्पादन विभाग द्वारा निर्धारित समय-सीमा के पश्चात किया गया।

03. श्री कुमार के स्तर से CGRC Portal पर कुल 13 अदद शिकायतों का निष्पादन सात दिनों के बाद, 02 अदद शिकायतों का निष्पादन पन्द्रह दिनों के बाद एवं 02 अदद शिकायतों को 30 दिनों से ज्यादा अवधि के बाद निष्पादित किया गया। श्री कुमार द्वारा शिकायतों का ससमय एवं त्वरित निष्पादन नहीं किये जाने के कारण 536 कनीय अभियंताओं की विभागीय रैंकिंग में उनका स्थान 425वाँ पाया गया।

04. CGRC Portal पर अत्यधिक संख्या में शिकायतें लंबित रहने, शिकायतों का त्वरित निष्पादन नहीं किये जाने एवं जन प्रतिनिधि द्वारा लगातार की जा रही शिकायतों का समाधान न कर गैर जिम्मेदाराना व्यवहार प्रदर्शित किये जाने की दशा में बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता एवं बिहार सरकारी सेवक नियमावली के नियम-3(1)(i), 3(1)(ii), 3(1)(iii) का उल्लंघन करने के आरोप में श्री मनोरंजन कुमार, तत0 कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, शेखपुरा, प्रशाखा-अरियरी सम्प्रति निलंबित कनीय अभियंता, मुख्यालय अधीक्षण अभियंता का कार्यालय लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, पूर्णियाँ के विरुद्ध आरोप पत्र गठित करते हुये विभागीय पत्रांक-1461, दिनांक-21.07.2026 द्वारा उनसे बचाव का लिखित अभिकथन की मांग की गयी।

05. विभागीय निदेश के आलोक में दो माह के उपरांत श्री कुमार द्वारा गठित आरोप पत्र के संबंध में बचाव का लिखित अभिकथन समर्पित नहीं किया गया है, जो उनके कार्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता एवं स्वेच्छाचारिता का द्योतक है।

06. उक्त वर्णित स्थिति में श्री कुमार के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(2) के तहत विभागीय कार्यवाही संस्थित किये जाने का निर्णय लिया गया है। एतदर्थ उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री अजय कुमार, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मुंगेर को जाँच संचालन पदाधिकारी एवं सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, शेखपुरा को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

07. आरोपित श्री मनोरंजन कुमार, निलंबित कनीय अभियंता, मुख्यालय अधीक्षण अभियंता का कार्यालय लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, पूर्णियाँ को आदेश प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के भीतर जाँच संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे तथा आरोप पत्र में उल्लेखित आरोप के संबंध में अपना लिखित बचाव-बयान समर्पित करेंगे।

08. जाँच संचालन पदाधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वे बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(2) में निहित प्रावधानों के अनुसार जाँच कार्य संपन्न करेंगे तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध करावेंगे।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति आरोप पत्र (अनुलग्नक सहित) के साथ श्री मनोरंजन कुमार, निलंबित कनीय अभियंता, मुख्यालय अधीक्षण अभियंता का कार्यालय लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, पूर्णियाँ/जाँच संचालन पदाधिकारी श्री अजय कुमार, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मुंगेर/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, शेखपुरा को दी जाय।

✓ (नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(मु0)

ज्ञापांक-11/आ04-1018/2026- 1893

पटना, दिनांक- 30/9/26

प्रतिलिपि:- आरोप पत्र की प्रति के साथ जाँच संचालन पदाधिकारी श्री अजय कुमार, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मुंगेर एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, शेखपुरा तथा श्री मनोरंजन कुमार, निलंबित कनीय अभियंता, मुख्यालय अधीक्षण अभियंता का कार्यालय लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

✓ (नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(मु0)

ज्ञापांक-11/आ04-1018/2026- 1893

पटना, दिनांक- 30/9/26

प्रतिलिपि:- सचिव के प्रधान आप्त सचिव/मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, भामनपुर एवं पूर्णियाँ/अधीक्षण अभियंता, मुंगेर एवं पूर्णियाँ अंचल/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/विभागीय आई.टी. मैनेजर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(मु0)